छात्रों हेत् महत्वपूर्ण निर्देश

1–छात्र क्या करें:–

- ए०आई०सी०टी०ई० द्वारा मान्यता प्रदत्त पाठ्यकमों को संचालित करने वाली शिक्षण संस्थाओं को छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेत् एन०बी०ए० ग्रेडिंग होना आवश्यक है, इसी प्रकार निजी विश्वविद्यालय को छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु नैक ग्रेडिंग–बी अथवा उससे उपर होना आवश्यक है। उक्त दोनो ग्रेडिंग प्राप्त संस्थाओं में अध्ययनरत छात्र ही छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति पाने हेतु पात्र होगें। छात्र प्रवेश लेते समय संस्थान की उक्त ग्रेडिंग को अवश्य देख लें।
- छात्रों हेतु आनलाइन आवेदन पत्र भरने से पूर्व अपने शैक्षिक योग्यता के अंकपत्र/प्रमाण पत्र, जाति/आय प्रमाण पत्र (आनलाइन जारी), बैंक पासबुक, शिक्षण संस्थान में जमा की गयी शुल्क की रसीद, पाठ्यकम की अनिवार्य वार्षिक नान रिफण्डेबिल शूल्क धनराशि, वर्तमान विश्वविद्यालय/बोर्ड का अपना पंजीयन कमांक, आधार नम्बर, अपना पासपोर्ट साइज का फोटो आदि अभिलेख अपने पास एकत्रित कर लें।
- हाई-स्कूल अंकपत्र एवं प्रमाण-पत्र में अंकित नाम, पिता का नाम, लिंग एवं जन्म तिथि का ही उसी तरह आधार कार्ड में भी अंकन होना आवश्यक है। कक्षा 9–10 के छात्र भी यह सुनिश्चित कर लें कि आवेदन पत्र में अंकित किये गये नाम एवं जन्म तिथि का मिलान उसी तरह से आधार कार्ड में अंकित की गयी प्रविष्टियों से हो सके। कक्षा 9–10 के छात्र अपनी जन्म तिथि सक्षम स्तर से जारी जन्म प्रमाण पत्र के आघार पर ही अंकित करें तथा तदनुसार आधार कार्ड को अपडेट करायें।
- बिना आधार नम्बर के छात्रवृत्ति हेतु आनलाइन रजिस्ट्रेशन किया जाना सम्भव नहीं होगा। आधार नम्बर का <mark>ंडेमोग्रेफिक वेरीफिकेशन (नाम एवं जन्म तिथि का</mark> मि<mark>लान) होने के बाद ही छात्र अपने आवेदन पत्र को</mark> आनलाइन टेम्पेरेरी लाक कर सकेगा।
- छात्र अपना आवेदन आनलाइन करने के पश्चात एवं टेम्परेरी लाक करने से पूर्व अपना सम्पूर्ण विवरण यथा— हाईस्कूल / इण्टरमीडियट का रोल नम्बर, जाति / आय प्रमाण-पत्र का कमांक एवं आवेदन का कमांक, छात्र द्वारा गत परीक्षा में प्राप्त अंकों का विवरण, वर्तमान पाठ्यकम में प्रवेश लेने की न्यूनतम योग्यता, पाठ्यकम एवं पाट्यकम का प्रकार, आय प्रमाण-पत्र में अंकित आय, बैंक शाखा का नाम, आई०एफ०एस० कोड एवं खाता संख्या, अनुमोदित वार्षिक शुल्क की धनराशि, आवेदन पत्र में अंकित की गयी कैटेगरी (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामान्य वर्ग, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग) आदि का किया गया अंकन सावधानीपर्वक जांच कर लें तदोपरान्त ही छात्र अपने आवेदन पत्र को फाइनल सबिमट करें।
- सभी छात्र अपना आवेदन पत्र स्वयं भरें। आनलाइन आवेदन पत्र के लिये पासवर्ड स्वयं सृजित करें। छात्र यदि साइबर कैफे / संस्था से आवेदन कर रहे हैं तो अपने सामने ही सभी प्रविष्टियों को आवेदन पत्र में भरवायें एवं जांच का प्रिन्ट लेकर स्वयं समस्त प्रविष्टियों की जांच कर लें तथा यदि कोई त्रृटि है तो उसको सुधार करने के उपरान्त ही आवेदन पत्र को आनलाइन सबमिट करें।
- आवेदन पत्र सबमिट करने के उपरान्त तीन दिन बाद संस्था हेतु फाइनल प्रिन्ट ले सकेंगें, यदि आवेदन पत्र में जाति/आय प्रमाण-पत्र कमांक एवं आवेदन कमांक, आय तथा हाईस्कूल/इण्टरमीडियट के रोल नम्बर में कोई त्रिट होगी तो उसे इन तीन दिनों में आपकी लागिन पर प्रदर्शित किया जायेगा। सही करने के उपरान्त ही आवेदन पत्र शिक्षण संस्थान को सबमिट (Submit) करने हेत् फाइनल प्रिन्ट लें एवं संस्थान से आवेदन पत्र जमा करने की पावती अवश्य लें।
- संस्थान द्वारा छात्र का आनलाइन आवेदन अग्रसारित करते समय यदि कोई त्रुटि प्रदर्शित होती है तो संस्थान उस छात्र का आवेदन वापस कर सकेगा, लेकिन ऐसे आवेदनों को 07 दिन के भीतर छात्र को सही करके संस्थान से अग्रसारित कराया जाना अनिवार्य होगा।
- अनिवार्य वार्षिक शुल्क (Non Refundable fees) के कालम में शिक्षण संस्थान से जानकारी करने के बाद ही वास्तविक फीस की धनराशि ही अंकित करें।
- नवीनीकरण के छात्र आवेदन पत्र भरने के लिये समय सारिणी में निर्धारित समयावधि एवं अन्तिम तिथि से पूर्व ही प्रत्येक दशा में आवेदन पत्र भरना एवं सबिमेट करना सुनिश्चित करें एवं हार्ड कापी समस्त संलग्नकों सहित संस्था में जमा करना सुनिश्चित कर लें एवं प्राप्ति रसीद अवश्य प्राप्त कर लें जिससे कि नवीनीकरण के पात्र छात्रों को दिनांक 02 अक्टूबर 2020 तक छात्रवृत्ति की धनराशि दी जा सके।





- नवीन एवं नवीनीकरण श्रेणी के अवशेष छात्र समय—सारिणी में निर्धारित समयाविध की सीमा के अन्तर्गत ही प्रत्येक दशा में आवेदन पत्र भरना एवं सबिमट करना सुनिश्चित करें एवं हार्ड कापी समस्त संलग्नकों सिहत संस्था में जमा करना सुनिश्चित कर लें एवं प्राप्ति रसीद अवश्य प्राप्त कर लें। छात्र यह भी सुनिश्चित कर लें कि संस्थान द्वारा समय—सारिणी में दी गयी निर्धारित समयाविध में ही आवेदन पत्र अग्रसारित कर दिया जाय।
- आधार नम्बर जो कि छात्रवृत्ति के आवेदन पत्र पर अंकित बँक खाते से सीडेड हो, भरना अनिवार्य है क्योंकि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2020—21 में छात्रवृत्ति का भुगतान आधार नम्बर से जुड़े बँक खाते में ही हो पायेगा। आधार नम्बर देने तथा उसकी सीडिंग बँक खाते में कराने से KYC (Know your customer) भी पूर्ण हो जाती है। अपनी बँक शाखा में KYC (Know your customer) फार्म भरकर अवश्य जमा कर दें। अपना बचत बँक खाता संचालित रखें, उसमें निर्धारित न्यूनतम बैलेन्स बनाये रखें एवं खाते में धनराशि आने की लिमिट छात्रवृत्ति एव शुल्क प्रतिपूर्ति की प्राप्त होने वाली धनराशि से अधिक हो, इसे सुनिश्चित कर लें। यह भी ध्यान रखें कि छात्रवृत्ति एवं शुल्क की धनराशि आने तक आपका खाता पूर्ण रूपेण संचालित रहे अर्थात बन्द न हो।
- बचत बैंक खाता संख्या (CBS) एवं IFSC कोड को भलीभांति जांच लें। अपनी बैंक शाखा का सही रूप से चयन करें। गलत बैंक शाखा/खाता संख्या या बिना आधार सीडेड खाता संख्या भरने पर पी०एफ०एम०एस० के माध्यम से छात्र का आवेदन रिजेक्ट हो जायेगा।
- छात्र प्रथम वर्ष में धनराशि न मिलने पर भी पूर्व आवेदन पत्र का अगली कक्षा में नवीनीकरण ही करें, न कि नवीन आवेदन पत्र भरें। छात्रों को नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र की कुछ अनिवार्य प्रविष्टियों को ही भरना है, जिसमें विगत परीक्षा के प्राप्तांक, पूर्णांक, अनिवार्य वार्षिक नान रिफण्डेबिल (Non refundable) फीस, मोबाइल नम्बर, वर्तमान विश्वविद्यालय/बोर्ड का अपना पंजीयन कमांक, आधार नम्बर, बचत बैंक खाता संख्या व IFSC कोड आदि भरना होगा। नवीनीकरण हेतु पात्र छात्र आवेदन पत्र में विगत कक्षा के प्राप्तांक को सही मरें क्योंकि अंकों का मिलान विश्वविद्यालय द्वारा अपलोड किये गये परीक्षाफल से किया जायेगा।
- सभी निजी क्षेत्र के संस्थानों में पाठ्यकम का प्रकार स्ववित्त पोषित ही रहेगा। शासकीय (GOVT) एवं शासकीय सहायता प्राप्त (AIDED) संस्थानों में पाठ्यकम, पाठ्यकम के प्रकार (नियमित (Regular)/स्ववित्त पोषित (SELF FINANCE) व उसके वर्ष का अंकन सही—सही ध्यानपूर्वक करें। छात्र/छात्रा विगत वर्ष में प्राप्त छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि का अंकन अवश्य करें।
- छात्र / छात्रा मोबाइल नम्बर एवं ई-मेल आईडी स्वयं का ही दें।
- वर्तमान सत्र हेतु प्रचलित नियमावली, समय—सारिणी, प्रदर्शित सूचनायें एवं अन्य विस्तृत जानकारी हेतु
 https://scholarship.up.gov.in पर समय—समय पर सर्च करें एवं वेबसाइट पर निरन्तर प्रदर्शित हो रहे
 आवश्यक निर्देशों का भली—भांति पालन करें एवं समय—सारिणी में दी गयी समयाविध का उल्लघंन कदापि न
 करें अन्यथा आप वरीयता में नीचे चले जाने पर छात्रवृत्ति एवं शुल्क पाने से वंचित हो सकते हैं।
- छात्र अपने आवेदन की स्थिति अपने लागिन एवं पासवर्ड के माध्यम से स्वयं देख सकते हैं। छात्रवृत्ति आवेदन संस्था द्वारा अग्रसारित करने/वापस करने/रिजेक्ट करने पर आपके मोबाइल पर एस०एम०एस० भी भेजा जायेगा तथा यह भी सुनिश्चित कर लें कि संस्थान द्वारा आपका आवेदन पत्र निर्धारित समयाविध में अग्रसारित हो जाय।

2–छात्र क्या न करें।

- शिक्षण संस्था में जमा करने के लिये आवेदन पत्र किसी अन्य व्यक्ति को न सौंपे। शिक्षण संस्थान में स्वयं जमा करें एवं पावती रसीद अवश्य प्राप्त कर लें।
- अपने व्यक्तिगत विवरण/अभिलेख यथा
 आधार नम्बर,हाईस्कूल का अनुक्रमांक व बैंक खाता संख्या तथा
 आवेदन हेतु सृजित पासवर्ड किसी से भी साझा (Share) न करें।
- आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि का इन्तजार न करें।
- अनुत्तीर्ण (Fail) छात्र किसी भी दशा में छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन न करें। छात्र वार्षिक परीक्षा (सेमेस्टर होने की दशा में दो सेमेस्टर का परीक्षाफल प्रकाशित होने पर) का परीक्षाफल प्रकाशित न होने पर अगली कक्षा हेतु आवेदन पत्र में Result Yet Not Declared का आप्सन भरकर आवेदन कर सकेगें। Result Yet Not Declared से सम्बन्धित छात्र का आवेदन प्रत्येक दशा में संदेहास्पद डाटा के रूप में प्रदर्शित होगा तथा छात्र का परीक्षा फल सन्देहास्पद डाटा को सही करने की दी गई समयाविध में छात्र द्वारा पूर्ण करके आवेदन को फाइनल करना होगा तथा संस्था को भी परीक्षा परिणाम की पुष्टि करते हुए समयान्तर्गत अग्रसारित करना होगा। सन्देहास्पद डाटा को सही करने की अन्तिम तिथि तक परीक्षाफल घोषित न होने पर



ऐसे डाटा को छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति नहीं दी जायेगी अर्थात डाटा को जनपद स्तर पर रिजेक्ट कर दिया जायेगा।

- शिक्षण संस्थान में जमा करने हेतु आवेदन पत्र का फाइनल प्रिन्ट आउट बिना निकाले आवेदन पत्र भरा हुआ
 नहीं माना जायेगा। समय—सारिणी में निर्धारित समयाविध में संशोधन करने के उपरान्त भी संस्थान में जमा
 करने हेतु संशोधित फाइनल प्रिन्ट निकाल कर संस्था में जमा करने एवं संस्था द्वारा अग्रसारित करने के
 उपरान्त ही संशोधित आवेदन पत्र मान्य होगा।
- छात्र/छात्रा द्वारा आवेदन पत्र में त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण/गलत प्रविष्टियां भरने पर पूर्ण उत्तरदायित्व छात्र/छात्रा का ही होगा एवं आवेदन पत्र निरस्त हो जायेगा तथा छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति अनुमन्य नहीं होगी। यदि छात्र द्वारा आवेदन करते समय किसी अन्य छात्र का आघार नम्बर, हाई—स्कूल रोल नम्बर, बैंक खाता, आय एवं जाति प्रमाण-पत्र तथा कोई अन्य अमिलेख प्रयोग किया हुआ पाया जाता है तो छात्र एवं संस्था के विरुद्ध नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
- यदि छात्र का डाटा सन्देहास्पद श्रेणी में आ जाता है तो सन्देह के कारण का उत्तर साक्ष्यों सिहत अपनी संस्था के माध्यम से आनलाइन देना होगा। जनपद स्तरीय अधिकारियों (जिला समाज कल्याण अधिकारी/ जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी) को संस्थान के माध्यम से छात्रवृत्ति वेबसाइट पर प्रदर्शित निर्धारित समयाविध में आनलाइन उपलब्ध न कराये जाने पर अथवा दिये गये उत्तर/अभिलेखों से छात्र के सही होने के दावे की पुष्टि नहीं होने पर जनपदीय अधिकारियों द्वारा जनपदीय छात्रवृत्ति स्वीकृति समिति से निर्णय प्राप्त करते हुये डाटा डिजिटल हस्ताक्षर से अस्वीकृत (REJECT) कर दिया जायेगा।

_-((पी० के० त्रिपाठी) संयुक्त निदेशक मु०

निदेशक समाज कल्याण

सिद्धार्थ मिश्र सहायक निदेशक (छात्रवृत्ति) मुख्यालय

कुमारी मायावती राजकीय महिला पालीटेकनिक बादलपुर गौतम बुद्ध नगर छात्रवृति हेतु आवश्यक सूचना

समस्त छात्राओं को सूचित किया जाता है कि दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत अनुसूचित जाति। जनजाति एवं सामान्य वर्ग के छात्राओं को सूचित किया जाता है कि छात्रवृत्ति ऑनलाइन आवेदन में छात्राओं के आधार नंबर भरने की व्यवस्था पूर्व से ही है चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 से छात्र। छात्राओं के आधार नंबर ऑनलाइन वेरिफिकेशन के पश्चात ही आवेदन पत्र सबिमट हो सकेगा । इस प्रक्रिया में छात्र द्वारा भरे गए आधार नंबर छात्र का नाम, पिता/पित का नाम व लिंग तथा जन्मितिथि का सत्यापन होने के पश्चात आधार नंबर से लिंक मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा जाएगा । उक्त ओटीपी को आवेदन पत्र में भरने के उपरांत आवेदन पत्र सबिमट किया जा सकेगा । आधार नंबर से लिंक सीडेड बैंक खाते में ही छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि अंतरित होगी। उपरोक्त प्रकार की कार्यवाही किए जाने हेतु छात्रों के स्तर पर निम्न कार्यवाही किया जाना है-

- सभी छात्रों के पास आधार कार्ड उपलब्ध होना चाहिए, जिन छात्रों के पास आधार कार्ड नंबर नहीं है उन्हें प्रत्येक दशा में आधार कार्ड बनवा लेना चाहिए।
- जिन छात्रों के पास आधार कार्ड उपलब्ध है वह आधार नंबर को अपने मोबाइल नंबर एवं राष्ट्रीयकृत मिजी। ग्रामीण बैंकों में खुले बैंक खातों से लिंक।सीड करा लें।
- हाई स्कूल अंकपत्र/ प्रमाण पत्र अंकित अपना नाम तथा अपने माता-पिता / पित के नाम के अनुरूप ही आधार कार्ड में अपना वह माता -पिता /पित का का नाम अपडेट करा करा ले।
- हाईस्कूल अंक प्रमाण पत्र में अंकित जन्मतिथि को आधार कार्ड में अपडेट करा ले ।
- आधार कार्ड में यदि लिंग जेंडर गलत है तो उसको शुद्ध/सही करा ले।

्रीट्र_{२०}०० - २०० नोडल अधिकारी/ प्रभारी छात्रवृत्ति

छात्रवृति हेतु आवश्यक सूचना-3

कुमारी मायावती राजकीय महिला पालीटेकनिक बादलपुर गीतम बुद्ध नगर

17-10-2020

संस्था की समस्त अध्ययनरत अनुसूचित जाति/ जनजाति, अल्पसंख्यक एवं सामान्य वर्ग के छात्राओं को सूचित किया जाता है कि सत्र 2020-21 की छात्रवृत्ति हेतु जिनके माता/पिता /अभिभावक की वार्षिक आय रूपये 200000/= (दो लाख रूपये) से कम है और SC/ST केटेगरी की प्रवेशित छात्राये जिनके माता /पिता /अभिभावक की वार्षिक आय रूपये 250000/= (दो लाख पचास हज़ार रूपये) से कम है वे छात्राये निम्नलिखित सूचि के साथ https://scholarship.up.gov.in वेब साईट पर फॉर्म भरना सुनिचित करें। SOFT COPY संस्था में भेजने की अंतिम तिथि 30.10.2020 है। अन्यथा की स्थित में सम्पूर्ण जिमेदारी छात्रा की होगी।

आवेदन पत्र के साथ सभी प्रमाण पत्र निम्न क्रम में लगाये:

- 1. छात्रवृति ऑनलाइन आवेदन पत्र की कापी
- 2. हाई स्कूल अंक पत्र एवम प्रमाण पत्र की छाया प्रति वेरिफिकेशन के साथ
- 3. इन्टर स्कूल अंक पत्र एवम प्रमाण पत्र की छाया प्रति वेरिफिकेशन के साथ
- 4. डिप्लोमा अंक पत्र की छाया प्रति
- 5. अंतिम शैकक्षिक अंक पत्र एवम प्रमाण पत्र की छाया प्रति
- 6. आय प्रमाण पत्र की छाया प्रति वेरिफिकेशन के साथ
- 7. जाति प्रमाण पत्र की छाया प्रति वेरिफिकेशन के साथ
- 8. आधार नंबर की छाया प्रति
- 9. गौतम बुद्ध नगर जिले में खोले गये खाते की पास बुक कीछाया प्रति IFSC CODE सहित (KYC-AADHAR LINKED बैंक खाता)
- 10. प्राविधिक शिक्षा बोर्ड उत्तर प्रदेश का पंजीकरण न॰ फॉर्म में भरना अनिवार्य है सामान्य निवास प्रमाण पत्र की छाया प्रति वेरिफिकेशन के साथ
- 11. शिक्षण श्ल्क रसीद की छाया प्रति
- 12. हॉस्टल शुल्क रसीद की छाया प्रति

ph-

- 13. JEECUP ALLOTMENT LATTER
- 14. छात्रा के माता /पिता /अभिभावक का स्वहस्ताक्षरित घोषणापत्र
- 15. छात्रा का शपथपत्र निर्धारित प्रारूप पर
- 16. गेप का शपथ पत्र नोटरी प्रमाणित
- 17. माता /पिता /अभिभावक का शपथपत्र निर्धारित प्रारूप पर
- 18. माता /पिता /अभिभावक का आधार नंबर की छाया प्रति जिनके नाम से आय प्रमाण पत्र है
- 19. नवीनी करण करने वाली छात्रा पिछली कक्षा की प्राप्त छात्रवृत्ति/शुल्कपूर्ति छाया प्रति
- 20. आवेदन पत्र पूर्ण करने के उपरांत 03 दिन बाद संस्था हेतु फाइनल प्रिंट ले सकेगे यदि आवेदन पत्र में जाति/आय प्रमाण पत्र क्रमांक तथा हाई स्कूल इंटरमीडिएट के रोल न॰में कोई त्रुटी होगी तो उसे इन 03 दिनों में आपकी लॉग इन पर प्रदर्शित किया जायेगा, सही करने के उपरांत ही आवेदन पत्र शिक्षण संस्थान में जमा करने हेतु फाइनल प्रिंट निकले आवेदन व् सभी छाया प्रति पर छात्रा के स्वहस्ताक्षर होने चाहिए।

W12-10-2020

नोडल अधिकारी/ प्रभारी छात्रवृत्ति

छात्रवृति हेतु आवश्यक सूचना-

कुमारी मायावती राजकीय महिला पालीटेकनिक बादलपुर गौतम बुद्ध नगर

संस्था की समस्त अध्ययनरत अनुसूचित जाति/ जनजाति, अल्पसंख्यक एवं सामान्य वर्ग के छात्राओं को सूचित किया जाता है कि सत्र 2020-21 की छात्रवृत्ति के आवेदन पत्र ऑनलाइन भरकर व् स्वय अपने समस्त प्रमाण पत्रों से जाँच कर submit करने के तीन दिन बाद संस्था हेतु आवेदन पत्र का प्रिंटआउट लेकर समस्त प्रमाण पत्र पर स्वय हस्ताक्षर कर प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ क्रम में लगाकर SOFT COPY (केवल एक PDF FILE बनाकर) निम्न अधिकारियों के पास अंतिम तिथि दिनांक 30-10-2020 तक भेजना सुनिश्चित करे।

- 1. श्री देश राज सिंह व्याख्याता (आई.टी.)-----SC/ST/MINORITY(सभी छात्रये)
- 2. श्रीमती रितु आनंद व्याख्याता (इलेक्ट्रॉनिक्स) तथा श्रीमती बरखा गुप्ता (लाईब्ररी प्रभारी)-----GENERAL (सभी छात्रये)
- 3. श्री देवेन्द्र सिंह भारंगर (आई.टी.)---- OBC (सभी छात्रये)

NOTE: PDF File must be named as "Name of the candidate_Scholarship Registration No."

Ex. TAPASYA_100245231900247

नोडल अधिकारी/ प्रभारी छात्रवृत्ति